

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 01/24

GCMS NO-2024/13

सन् 2024

बउनवानी:- मज्जू पुत्र मुबारक जाति मुसलमान निवासी ग्राम भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरुद्ध तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 68/2023 निर्णय दिनांक
27.10.2023 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :- 1. श्री श्याम सुन्दर शर्मा
2. श्री विनोद कुमार शर्मा

वकील अपीलान्त

नायब तहसीलदार.(पैरोकार)

दिनांक 24.7.2024

-: निर्णय :-

अपीलान्त द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 68/2023 में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2023 जिसके द्वारा अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्त के विरुद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल किया जाकर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया एवं विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2080 (खरीफ) मे वाके ग्राम भगवगढ ए तहसील चौथ का बरवाडा की आराजी ख0न0 1535 रकबा 0.30 है0, किस्म चरागाह की भूमि पर उडद की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के आशय की रिपोर्ट पटवारी हल्का भगवगढ ए द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्त को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए तलबी जरिये नोटिस की गयी, एवं विवादित भूमि पर अपीलान्त का अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जाँच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जाँच आदेश जेर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्त ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्त को विधिवत रूप से सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर सम्यक जाँच नहीं की गयी है केवल मात्र पटवार हल्का द्वारा रंजिशवश प्रस्तुत गलत व झूठी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। यह कथन भी किया कि अपीलान्त 65 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है जिसके द्वारा कृषि का कार्य किया जाना किसी भी तरह सम्भव नहीं है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील अपीलान्त की अनुपस्थिति मे पारित किया गया है तथा अपीलान्त को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण से संबंधित ऐसा कोई पूर्ववर्ती निर्णय नहीं है जिसमे अपीलान्त को बेदखली के आदेश पारित किया गया हो अर्थात कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी अपीलान्त को 60 दिवस की सजा की गयी है। यह तर्क भी दिया कि विवादित भूमि पर अपीलान्त का कोई कब्जा नहीं था ओर ना ही भविष्य में कब्जा करेगा। हल्का पटवारी द्वारा बिना मौका देखे ही रिपोर्ट की गयी है इसलिए आदेश जैर अपील निरस्त योग्य है। आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी 10/7/2023

.....(1).....

(डॉ. सुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(अपील संख्या 01/2024 उनवानी मज्जू बनाम सरकार)


को पटवारी हल्का के बताये जाने पर प्राप्त होने तथा दिनांक 20.12.2023 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत अपील को मयाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि के लिए अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहाँ तक प्रश्न है तो पत्रावली में विपक्षी को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत स्वयं अपीलान्ट द्वारा प्राप्त की गयी नोटिस की प्रति से पुष्टि हो जाती है, जिसकी पालना में अपीलान्ट का पुत्र अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 9.10.2023 को उपस्थित हुआ है जिसको अतिक्रमण हटाने हेतु 7 दिवस का समय दिया किन्तु विवादित भूमि पर अतिक्रमण नहीं हटाया ओर ना ही कोई जवाब पेश किया। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अपना अतिक्रमण नहीं होने बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे कोई विधिक त्रुटि नहीं होने के कारण आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट के पुत्र का दिनांक 9.10.2023 को न्यायालय मे उपस्थित होने से हो जाती है किन्तु पत्रावली पर पश्तावर्ती अतिक्रमण से संबंधित ऐसा कोई साक्ष्य सबूत नहीं जिसके आधार पर यह माना जा सके कि अपीलान्ट को पूर्व मे भी विवादित भूमि पर से बेदखल किया गया हो। चूंकि अपीलान्ट द्वारा उक्त विवादित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य मे किसी प्रकार का अतिक्रमण ना तो स्वयं करेगा ओर ना ही उसके परिवारजन करेंगे इस आशय का शपथ पेश किया गया है। इसलिए आदेश जैर अपील को सशर्त निरस्त किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर आदेश जैर अपील सजा की सीमा तक सशर्त निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से कब्जा हटा लेने बाबत न्यायालय हाजा में इस आशय का शपथ पत्र पेश किया है कि विवादित भूमि ख0न0 1535 पर से अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है ओर भविष्य मे उक्त भूमि पर अपीलान्ट अथवा उसके परिवारजन किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेंगे। अतः तहसीलदार चौथ का बरवाडा स्वयं विवादित भूमि की मौके की जाँच करे यदि अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र के अनुसार विवादित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया हो तो सजा माफ समझी जावे ओर यदि विवादित भूमि पर वर्तमान मे भी कब्जा पाया जाता है तो सजा यथावत रहेगी, बेदखली आदेश यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.7.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ० खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर